



Case No. 452/2023

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

**Summons**

फाइल. सं. NCST/SER-535/DL/23/2022-SSW

Shri Campbell Wilson  
CEO and Managing Director  
Air India Limited  
DLF, Galaxi Tower, Adjoining Star Mall  
Sector-30, Silokhera, Gurugram-122001  
Email:- [ceo.md@airindia.com](mailto:ceo.md@airindia.com), Phone:- 0124-6138812,


चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 22.05.2023 को 11:30 AM आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:- एयर इन्डिया के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ उत्पीडन एवं पी.एफ तथा पेशन रीलिंग न करने के संबंध में -सुश्री लता रानी शहरावत, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव महिला विंग, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली दिनांक 16.08.2022 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ : Summon dated 17.01.2023 addressed to the CEO and Managing Director, Air India Ltd, Gurugram for personal appearance in the sitting scheduled on 27.01.2023 at 11:00 AM in NCST, New Delhi

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 08.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

  
हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer  
National Commission for Scheduled Tribes  
Loknaya Bhawan, New Delhi-110003